न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 153 / 2020 दायर दिनांकः 5 / 10 / 2020

उनवान

1. सुमन मित्तल आयु 40 वर्ष पत्नि श्री सुरेशचन्द मित्तल जाति महाजन निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

.....वादिया

बनाम

1. छोटूलाल आयु 50 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा
2. नाथूलाल आयु 52 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा
3. बबलू आयु 48 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा निवासीगण गणेश जी की छतरी के पास कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
4. शरदकुमार आयु 56 वर्ष पुत्र कस्तूरचन्द जाति महाजन निवासी गऊघाट रोड़ कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
5. सूरजमल आयु 50 वर्ष पुत्र किशनलाल जाति कलाल निवासी मेन रोड़ सालपुरा (बस स्टेण्ड़ के पास) तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
6. राजेन्द्र कुमार आयु 48 वर्ष पुत्र रामदयाल जाति ब्राहमण निवासी गऊघाट रोड़ कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
7. गोपीचन्द आयु 50 वर्ष पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा
8. नेमीचन्द आयु 45 वर्ष पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा
9. देवचन्द आयु 42 वर्ष पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा निवासीगण महुआखेड़ा पो0 कुण्ड़ी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
10. शंकरलाल आयु 37 वर्ष पुत्र ताराचन्द जाति मीणा निवासी उम्मेदगंज पो0 मुसेनमाता तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
11. श्यामसुन्दर मित्तल आयु 47 वर्ष पुत्र कल्याणमल मित्तल जाति महाजननिवासी गऊघाट रोड़ कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
12. सुरेश कुमार आयु 35 वर्ष पुत्र बृजमोहन जाति माली निवासी चारणखेड़ी पो0 खरखड़ा रामलोथान तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थित :–

वादियागण :–विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश दिनाक : 31/03/2022

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, कि वादिया ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0 टीनेन्सी एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कवाई में खाता संख्या 743 का ख0न0 365 का रकबा 0.49 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ता 12 के शामलाती खाता दर्ज चली आ रही हैं। नकल जमाबन्दी खाता संख्या 743 की प्रति वाद पत्र के साथ में संलग्न हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी के ख0न0 365 का रकबा 0.77 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 19/720 दर्ज खाता स्थित था जिसको वादिया ने जरिये रजिस्टर्ड बेनामा दिनांक 20/01/2014 को प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्सा 19/360 में से 19/772 हिस्सा को क्रय किया था। जिसका नामान्तकरण अभी वादीया के पक्ष में नहीं खुला हैं। इसलिए वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी के ख0न0 365 का पुराना रकबा 0.77 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से 19/360 मे से 19/720 रकबा वर्तमान ख0न0 365 का रकबा 0.49 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्सा 4/49 में रजिस्टर्ड बैनामा के मुताबिक आराजी पर वादीया को खातेदार कृषक घोषित किया जावें। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 एवं बेनामा आराजी की प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादीया के उसके द्वारा खरीदशुदा आराजी का नामान्तकरण नहीं खुला तो वादीया को अपने स्वामित्व की आराजी से वंचित होना पड़ेगा तथा प्रतिवादी क्रम 1 कभी भी वादीया द्वारा खरीदशुदा आराजी पर कब्जा कर सकता हैं तथा आये दिन वादीया को बेदखल करने की धमकी देता हैं। इसलिए वादीया को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से उनके द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्सा 4/49 में से रजिस्टर्ड बेनामा के मुताबिक क्रय की गई आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायोचित हैं। जिसकी वादीया अधिकारी एवं नॉलिशी हैं। वादीया प्रतिवादी क्रम 2 ता 12 से कोई अनुतोष नहीं चाहती हैं सहखातेदार होने के कारण प्रतिवादी क्रम 2 ता 12

को फोरमल पक्षकार बनाया गया हैं इसलिए उनकी तामील नहीं करवाना चाहती हैं। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं हैं। अगर प्रतिवादी क्रम 1 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल रहा और वादीया के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर से प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जबरन बेदखल कर दिया या आराजी को बेचान कर दिया तो वादिया को अपने कब्जे काश्त की खरीदशुदा आराजी से वंचित होना पड़ेगा जिससे वादिया को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी तथा वादिया को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। अस्तु वादिया को जरिये रजिस्टर्ड बेनामा खरीद की गई ख0न0 365 का रकबा 0.77 है0 आराजी में से प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्सा 19/360 में से 19/720 पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादिया का नाम दर्ज किया जावें तथा प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह वादिया को वाद पत्र की मद नं 1 में वर्णित खरीदशुदा आराजी पर से जबरन बेदखल नहीं करें तथा आराजी को रहन–बेचान नहीं करें तथा वह वादिया को उनके द्वारा खरीदशुदा उक्त आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देंवे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वंय करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावें इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। वाद कारण प्रथम बार रजिस्टर्ड बेनामा से आराजी खरीद करने पर तथा नामान्तकरण वादिया के नाम नहीं खुलने पर एवं अंतिम बार दिनांक 15/09/2020 को प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वादिया को आराजी पर से बेदखल करने एवं बेचान करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। यह कि राजस्थान सरकार भूमि धारी होने से जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया हैं लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना ही राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 13 बनाकर यह वाद 80(2) सी0पी0सी के प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। इसलिए 80 (2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद की नियमित सुनवाई की जावें। यह कि विवादग्रस्त आराजी ग्राम कवाई तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। यह कि वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। यह कि वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

अत : माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादिया विनयी है कि डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें कि :–

(अ) यह कि वादिया को वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी के वर्तमान ख0न0 365 का रकबा 0.49 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्सा 4/49 के ख0न0 365 का पुराना रकबा 0.77 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से 19/360 में से 19/720 भाग पर रजिस्टर्ड बैनामा के मुताबिक वादिया को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादिया के दर्ज खाता किया जावें।

(ब) यह कि प्रतिवादी क्रम 1 को इस आशय की जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह वादिया को वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी पर से बेदखल नहीं करें और न ही आराजी को रहन बेचान करें तथा वादिया को उक्त वर्णित आराजी का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देंवे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वंय करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावें।

(स) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादिया को प्रदान की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 2 से 12 से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रतिवादी क्रम 13 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के अन्तर्गत Pw_1 का शपथ पत्र पेश किया गया ।

अभिभाषक वादिया की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादिया द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी के वर्तमान ख0न0 365 का रकबा 0.49 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्सा 4/49 के ख0न0 365 का पुराना रकबा 0.77 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से 19/720 पर रजिस्टर्ड बैनामा के मुताबिक वादिया को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादिया के दर्ज खाता किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम कवाई के मूल ख0नं0 365 का रकबा 0.77 है0 था, जिसमें सहखातेदार गोपीकृष्ण पुत्र मदनलाल ब्राह्मण को हिस्सा 0.28 है0 पूर्व में ही पृथक होकर पृथक ख0नं0 2565/365 राजस्व रिकार्ड व नक्शे में दर्ज हो चुका है। मूल ख0नं0 365 के शेष रकबे 0.49 है0 में सहखातेदार राजेन्द्र कुमार पुत्र रामदयाल ब्राहमण का कुल हिस्सा 0.07 है0 पूर्व में ही पृथक होकर नये ख0नं0 2617/365 व 2626/365 रिकार्ड व नक्शे में दर्ज रिकार्ड हो चुका है। इस प्रकार मूल ख0नं0 365 के वर्तमान शेष 0.42 है0 भूमि के दो नवीन ख0नं0 2619/365 रकबा 0.04 है0 तथा 2618/365 रकबा 0.38 है0 प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 व 7 ता 12 के सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त शेष रकबा 0.42 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का वर्तमान हिस्सा 4/42 दर्ज है जबकि वाद दायर होने के समय 38/720 यानी 19/360 हिस्सा दर्ज था, इसमें 19/720 भाग यानी 0.02 है0 भूमि वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रसीद नं0 2014000151 दिनांक 20.01.2014 को रूपये 3,00,000 खरीदी थी। अतः प्रतिवादी क्रम 1 के वर्तमान में दर्ज हिस्से 4/42 मे से 4/84 यानी 1/21 भाग अर्थात 0.02 है0 भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रसीद नं0 2014000151 दिनांक 20.01.2014 के आधार पर वादिया का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल कवाई में खाता संख्या 743 का ख0न0 365 का रकबा 0.49 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 के पूर्व के हिस्से 19/360 में से 19/720 अर्थात वर्तमान हिस्से 4/42 में से हिस्सा 1/21 यानी 0.02 है0 भूमि पर वादिया सुमन मित्तल पत्नि श्री सुरेशचन्द मित्तल को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/03/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 153/2020

उनवान

1. सुमन मित्तल आयु 40 वर्ष पत्नि श्री सुरेशचन्द मित्तल जाति महाजन निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

.....वादिया

बनाम

1. छोटूलाल आयु 50 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा
2. नाथूलाल आयु 52 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा
3. बबलू आयु 48 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा निवासीगण गणेश जी की छतरी के पास कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
4. शरदकुमार आयु 56 वर्ष पुत्र कस्तूरचन्द जाति महाजन निवासी गऊघाट रोड़ कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
5. सूरजमल आयु 50 वर्ष पुत्र किशनलाल जाति कलाल निवासी मेन रोड़ सालपुरा (बस स्टेण्ड़ के पास) तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
6. राजेन्द्र कुमार आयु 48 वर्ष पुत्र रामदयाल जाति ब्राहमण निवासी गऊघाट रोड़ कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
7. गोपीचन्द आयु 50 वर्ष पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा
8. नेमीचन्द आयु 45 वर्ष पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा
9. देवचन्द आयु 42 वर्ष पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा निवासीगण महुआखेड़ा पो0 कुण्ड़ी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
10. शंकरलाल आयु 37 वर्ष पुत्र ताराचन्द जाति मीणा निवासी उम्मेदगंज पो0 मुसेनमाता तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
11. श्यामसुन्दर मित्तल आयु 47 वर्ष पुत्र कल्याणमल मित्तल जाति महाजननिवासी गऊघाट रोड़ कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
12. सुरेश कुमार आयु 35 वर्ष पुत्र बृजमोहन जाति माली निवासी चारणखेड़ी पो0 खरखड़ा रामलोथान तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....
बहाजिर :–

वादियागण :–विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल कवाई में खाता संख्या 743 का ख0न0 365 का रकबा 0.49 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 के पूर्व के हिस्से 19/360 में से 19/720 अर्थात वर्तमान हिस्से 4/42 में से हिस्सा 1/21 यानी 0.02 है0 भूमि पर वादिया सुमन मित्तल पत्नि श्री सुरेशचन्द मित्तल को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक **31/03/2022** को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)